

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या- 454  
सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक)

श्रमिक संबंधी योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता

454. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान श्रमिकों के लिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का कर्नाटक सहित वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं से लाभान्वित हुए श्रमिकों की संख्या कितनी है; और
- (ग) केन्द्र सरकार द्वारा देश में श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) और अजा/अजजा तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन नामक दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता केवल एनसीएस योजना के तहत प्रदान की जाती है। एनसीएस योजना के तहत, रोजगार चाहने वालों को करियर संबंधी सेवाएं जैसे रोजगार खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यवसायिक मार्गदर्शन आदि प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र(एमसीसी) की स्थापना हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार को सहायता प्रदान की जाती है। अब तक कर्नाटक में 14 एमसीसी को स्वीकृति दी जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 से, एनसीएस योजना को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एनसीएस योजना के तहत, एमसीसी की स्थापना के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनके प्रस्तावों के लिए धनराशि जारी की जाती है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, एनसीएस योजना के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों (कर्नाटक सहित) को जारी धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

(रुपए लाख में)

वित्तीय वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी धनराशि (कर्नाटक सहित)	762.00	2597.12	896.72	41.29	2347.95	25.84
कर्नाटक को जारी धनराशि	18.07	95.33	-	-	62.74	5.13

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 21.94 लाख उम्मीदवारों को करियर परामर्श/व्यवसायिक मार्गदर्शन/आत्मविश्वास निर्माण/भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यह कार्य राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से किया गया है।

\*\*\*\*